बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

सं0सं0-अभिप्र0/ल0ज0सं0वि0/परिवाद-11-13/2026 /पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ई0 सुनील कुमार,
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर ।

विषय - **मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के अंतर्गत निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर दिनांक-02.06.2026 को गठित समिति की आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के अंतर्गत निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षात्मक बैठक अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक-**02.06.2026** को आहूत की गयी। उक्त बैठक में लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षा हुई :-

क्र0	प्रमण्डल का नाम	निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	कार्य का नाम
1	2	3	4
1	ल0सिं0प्रम0, लखीसराय	02/2026-27, ग्रुप सं0-01, टेंडर आई0डी0-130619	बहरामा आहर एवं तालाब का जीर्णोद्धार कार्य ।

अतएव उक्त बैठक की कार्यवाही संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

अनु0:- यथावत्।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सुनील कुमार)
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- /पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथावत्।

ह0/-
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- 697 /पटना, दिनांक :- 02.06.26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को 01 (एक) अदद समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथावत्।

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

D/PUSHPA/Draft 2026-27

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–02/2026–27, ग्रुप संख्या–01 बहरामा आहर एवं तालाब का जीर्णोद्धार कार्य में प्राप्त परिवाद पर अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति की कार्यवाही :–

1.	कार्य का नाम	:–	बहरामा आहर एवं तालाब का जीर्णोद्धार कार्य।
2.	निविदा आंमत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम	:–	लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय
3.	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:–	285.612 लाख
4.	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:–	285.612 लाख
5.	परिमाण विपत्र की राशि	:–	283.924 लाख
6.	कार्य समाप्ति की अवधि	:–	एकरारनामा की तिथि से 12 माह
7.	निविदा की प्रक्रिया	:–	E-Tendering
8.	निविदा प्राप्ति की तिथि	:–	17.04.2026
9.	प्राप्त निविदा की संख्या	:–	06
10.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा तकनीकी निविदा समिति की बैठक की तिथि एवं कार्यवाही।	:–	संलग्न (पृ0सं0–08–10)
11.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा समर्पित तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी	:–	संलग्न (पृ0सं0–05)
12.	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:–	नहीं
13.	परिवादी का नाम	:–	1. बालकृष्ण भलोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0–विवेक कुमार भलोटिया, ग्राम–पुरानी बाजार, डाकघर–जमुई, जिला–जमुई 2. श्री सुधांशु कुमार, ग्राम–पार नवादा डोभरा पर, डाकघर–नवादा, थाना– बुन्देलखण्ड, जिला–नवादा 3. संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय

D/PUS/HPA/Parivad 26

14.	संवेदक द्वारा दिया गया परिवाद की स्थिति	1. **बालकृष्ण भलोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0–विवेक कुमार भलोटिया, ग्राम–पुरानी बाजार, डाकघर–जमुई, जिला–जमुई** – इनके द्वारा दिए गए परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि इस निविदा में मुझे Key Personnel के रूप में रखे गए अभियंता को निविदा शर्त के अनुरूप नहीं रहने के कारण आयोग्य कर दिया गया। जबकि SBD के ITB Cl 4.5(b) के अनुसार कुल 02 तकनीकी Key Personnel का Undertaking/Conssent letter Signature/Affidevit से संबंधित कागजात संलग्न किया जाना है। जबकि मेरे द्वारा प्रति शपथ पत्र, प्रमाण पत्र के साथ सिविल कार्यो के देख रेख हेतु 03 तकनीकी अनियोजित अभियंता (02 BE Civil एवं 1 अन्य अभियंता) कार्यरत है, जो SBD के कंडिका 4.3(e) के अनुरूप है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरे द्वारा दिये गये अभियंता प्रमाण पत्र को पुनः समीक्षा कर निविदा निष्पादन करने की कृपा की जाय। 2. **श्री सुधांशु कुमार, ग्राम–पार नवादा डोभरा पर, डाकघर–नवादा, थाना–बुन्देलखण्ड, जिला–नवादा** – इनके द्वारा दिए गए परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि इस निविदा में Bank Gurrantee से संबंधित अभिलेख कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय के नाम से प्रतिज्ञित, नही होने के कारण अमान्य कर दिया गया है। श्रीमान् से अनुरोध है कि मेरे द्वारा बी0जी0 में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय के जगह पर भूलवश कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लखीसराय अंकित हो गया है। महोदय को अवगत कराना चाहुगॉ कि ऐसा ही मामला लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा अन्तर्गत बरगाईन आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य के निविदा में था। जिसमें संवेदक विजय कुमार सिंह, अम्बिकापुर, सरगुजा, छतीसगढ़ द्वारा बी0जी0 में लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा के नाम से प्रतिज्ञित कर निविदा में भाग लिया गया था। इनके निविदा को दिनांक–26.05.2025 को आहुत विभागीय निविदा समिति के बैठक में मान्य किया गया था। अतः सादर अनुरोध है कि दिनांक–26.05.2025 को आहुत विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में मेरे बैंक गारंटी का सत्यापन कराकर मेरे निविदा को मान्य करने कृपा की जाय। 3. **संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय** – इनके द्वारा दिए गए परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि इस निविदा में कुल छः निविदाकार भाग लिए, जिसमें विभाग के द्वारा KEY EQUIPMENT से संबंधित एक अदद् टीपर का अभिलेख पॉच वर्ष से अधिक पाए जाने के कारण मुझे निविदा में अमान्य कर दिया गया। जबकि मेरे द्वारा लीज पर लिए OWNER आकाशदीप, शेखपुरा से लिया गया इनके द्वारा लीज पर दिया गया गाड़ी नं0 BR 52G 4443 है। जबकि निविदा के साथ अपलोडेड तकनीकी शीट PARTICULAR OF ITEM MAXIMUM AGE OF TOOLS AND PLANTS WITHIN 5 YEARS क्रम सं0 XI पर एवं फिर निविदा अपलोड SBD मॉडल में अंकित SBD के Cl.G.APPENDIX TO ITB के अन्तर्गत क्रम सं0–ANNEXURE 1 LIST OF KEY PLANT & EQUIPMENT TO BE DEPLOYED (REFERENCE Cl-4.5 B (a) में वैधता की तिथि 30.04.2026 अंकित है। इस प्रकार वांछित Technical sheet में एवं UPLOADED SBD Cl- 4.5 B (a) के अन्तर्गत विषयांकित निविदा में भिन्नता तथा भ्रामक रहने के कारण मेरे द्वारा लीज पर लिए गये टीपर का पुनः रजिस्ट्रेशन तिथि 18-04-2026 अंकित है। इस निविदा वर्ष के अन्दर मेरे गाड़ी का लीज पांच वर्ष उम्र अहर्ता को पूर्ण करता है जिसे ऑनलाईन देखा जा सकता है जो दिनांक–18.04.2026 को मेरे लीज धारक द्वारा खरीदी गयी जिसकी रजिस्ट्रेशन वैधता की तिथि 04.04.2036 तक है। जबकि जल संसाधन विभाग का पत्रांक–200 दिनांक–14.03.2016 द्वारा मानक SBD के विभिन्न कंडिकाओं में वर्णित CONTRACTUAL PROVISIONS को लागू करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत प्रतिपादित किये गये। उक्त विरोधाभाष को दूर करने हेतु उक्त वर्णित विभागीय आदेश के कंडिका 2.3 को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जो जल संसाधन विभाग, बिहार, के पत्रांक–274 दिनांक–18.04.2016 SBD के SECTION-1 ANNEXURE 1 LIST OF KEY AND CRITICAL EQUIPMENT में MAXIMUM AGE AS ON YEARS के कॉलम में अनुसूचित दर पुस्तिका में मशीनों का निर्धारित जीवनकाल में से दो वर्ष कम कर प्राप्त वर्ष अथवा पांच वर्ष में जो अधिक हो उसे अंकित किया जाय। परन्तु ऐसा विभाग के द्वारा नहीं किया गया। जबकि दो अन्य निविदाकार (1) विष्णु आराध्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 (2) रमण कुमार को सफल घोषित किया गया। जिसमें दोनों निविदाकार का निम्न त्रुटि है जो इस प्रकार है:–

		i) **विष्णु आराध्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 कृष्ण कुमार, जहानाबाद** इनके द्वारा तकनीकी बीड में PROGRAMME OF CONSTRUCTION से संबंधित UPLOADED प्रमाण पत्र में कार्य का नाम अंकित नहीं है जो SBD ITB CI-4.3 (1) तथा जो SBD 4.5 B (a) के अनुरूप नहीं है। साथ ही इनके द्वारा UPLOADE POWER OF ATTORNEY से संबंधित कागजात तकनीकी शीट के क्रमांक (xvii) SBD के कंडिका 4:2 (iv) के अनुरूप नहीं दिया है। इनके द्वारा EXISTING COMMITMENT AND ONGOING WORKS से संबंधित अपलोडेड प्रमाण SBD ITB 4.7 एवं NIT क्रमांक 48 के अनुसार ENGINEER IN CHARGE द्वारा प्रति हस्ताक्षरित नहीं है जो मानक निविदा के अनुरूप नहीं है। ii) **रमण कुमार , लखीसरायः**—इनके द्वारा EXISTING COMMITMENT AND ONGOING से संबंधित कार्यो की सूची नहीं दिया गया जिससे BID CAPACITY का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाया इनके द्वारा तथ्य छुपाया गया है। इनके द्वारा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल लखीसराय के अधीन हर घर नल जल योजना का कार्य एवं छूटे हुए वासवट का जलापूर्त्ति योजना चल रहा है जो वित्तीय वर्ष 2024—25 एवं 2025—26 तक में कार्य लंबित एवं अपूर्ण है। जिसका सूची UPLOAD नहीं किया गया है। इनके द्वारा तथ्य को छुपाया गया है अतः SBD ITB (SECTION-1) की कंडिका 4.8 (MADE MISLEADING OR FALSE REPRESENTATIONS IN THE FORMS, STATEMENTS AND ATTACHMENTS SUBMITTED IN PROOF OF THE QUALIFICATION REQUIREMENTS) के आलोक में आयोग्य किया जाय। इनके द्वारा WORKS FOR WHICH BIDS ALREADY SUBMITTED में इनके द्वारा NIL दिखाया गया है जबकि लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय (NIT No. 01/2026-27) अन्तर्गत महरथ तालाब/आहर का जीर्णोद्धार कार्य में भाग लिया। उक्त तथ्य को इनके द्वारा छुपाया गया। अतः इनको SBD के SECTION-1 की कंडिका 1.4 (B) के आलोक में अयोग्य किया जाय। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निविदाकार के द्वारा निविदा में दिए गये दस्तावेज की जाँच कर एवं हमारे द्वारा दिये गये परिवाद पर कारवाई करने की कृपा की जाय।
15.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर स्तर की निविदा समिति की अनुशंसा	1. **बालकृष्ण भलोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0—विवेक कुमार भलोटिया, ग्राम—पुरानी बाजार, डाकघर—जमुई, जिला—जमुई** — इनके द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में इनके तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा Key personnel के रूप में तीन अभियंताओं का अभिलेख संलग्न किया गया है। जिसमें एक अभियंता **बिनोद कुमार सावा** का प्रमाण पत्र सही पाया गया (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या—513)। **राम गोपाल टिवड़ेवाल** का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Bachelor in Science अंकित है जो civil engineering के श्रेणी में नहीं आता है (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या—512)। **प्रवीण कुमार सिंहा** का प्रमाण पत्र Bachelor in Mechanical का पाया गया (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या—514)। इस प्रकार Technical Sheet के क्रमांक 10 के अनुसार मांगी गई शर्त के अनुरूप Key personnel से संबधित अभिलेख संलग्न नहीं पाया गया। अतः परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य किया जा सकता है। 2. **श्री सुधांशु कुमार, ग्राम—पार नवादा डोभरा पर, डाकघर—नवादा, थाना— बुन्देलखण्ड, जिला—नवादा** — इनके द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में इनके तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिसमें Bank Guarrantee से सबंधित अभिलेख कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय के सही नाम से प्रतिज्ञित नहीं होकर कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, लखीसराय के नाम से प्रतिज्ञित है (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या—42)। जो निविदा शर्त के कंडिका—14 के अनुरूप नहीं है। EXISTING COMMITMENT AND ONGOING WORKS से संबंधित अभिलेख स्वयं के लेटर पैड पर दिया गया है जिसके साक्ष्य के रूप में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या—23) जो निविदा शर्त के कंडिका 47 के अनुरूप नहीं है। अतः परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य किया जा सकता है।

तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा लिए गए गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

3. संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय – इनके द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में इनके तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Key Equipment से संबंधित अभिलेख के रूप में 10 अदद ट्रेक्टर/टीपर/डंपर की मांग की गई है। जॉचोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा Key Equipment से संबंधित 09 अदद ट्रेक्टर/टीपर/डंपर से सबंधित अभिलेख पॉच वर्ष के अन्तर्गत पाया गया (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 262 एवं 264) परन्तु 01 अदद ट्रेक्टर/टीपर/डंपर का अभिलेख पॉच वर्ष से अधिक पूराना पाया गया (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–257)। जो तकनीकी शीट के कंडिका–06 के अनुरूप नहीं है।

अतः परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य किया जा सकता है।

तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा लिए गए गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

(i) संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय द्वारा विष्णु आराध्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 कृष्ण कुमार, जहानाबाद पर दिए गए परिवाद की समीक्षाः– संजीव कुमार के द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में विष्णु आराध्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 के तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि PROGRAMME OF CONSTRUCTION से संबंधित UPLOADED प्रमाण पत्र में अंकित तिथि 13.05.2026 है जो निविदा निर्गत की तिथि–17.04.2026 के बाद का है। जिससे यह प्रतीत होता है कि यह PROGRAMME OF CONSTRUCTION से संबंधित अभिलेख इसी निविदा के लिए है। परिवाद के इस बिन्दु को अमान्य किया जा सकता है।

POWER OF ATTORNEY से संबंधित कागजात तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–09 पर संलग्न पाया गया है परिवाद के इस बिन्दु को अमान्य किया जा सकता हैं।

EXISTING COMMITMENT AND ONGOING WORKS से संबंधित अभिलेख तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–225 पर संलग्न है जो स्वयं के Latter Pad पर दिया गया है। इसके साक्ष्य के रूप में तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–226 से 228 पर संलग्न है जो सक्षम प्राधिकार से निर्गत है तथा यह निविदा शर्त के कंडिका 47 के अनुरूप है। परिवाद के इस बिन्दु को अमान्य किया जा सकता हैं।

तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा लिए गए गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।

(ii) संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय द्वारा रमण कुमार, लखीसराय पर दिए गए परिवाद की समीक्षाः– संजीव कुमार द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में रमण कुमार तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परिवादी द्वारा दिए गए परिवाद EXISTING COMMITMENT AND ONGOING WORKS से सबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी अभिलेख संलग्न नहीं किया गया है। अतः परिवाद के इस बिन्दु को अमान्य किया जा सकता है।

WORKS FOR WHICH BIDS ALREADY SUBMITTED से सबंधित परिवाद के आलोक में रमण कुमार के तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया की लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय (NIT No. 02/2026-27) अन्तर्गत बहरामा आहर/तालाब का जीर्णोद्धार कार्य में इनके द्वारा अग्रधन के रूप में निविदा में संलग्न बैंक गारैन्टी से संबंधित अभिलेख जिसका क्रमांक संख्या–39360ILG000226 Date 12-05-2026 (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–09) है एवं लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय (NIT No. 01/2026-27) अन्तर्गत महरथ तालाब/आहर का जीर्णोद्धार कार्य में इनके द्वारा बैंक गारैन्टी से संबंधित अभिलेख जिसका क्रमांक

		संख्या–39360ILG000326 Date 12-05-2026 (तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–06) है। जिससे ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा NIT No. 02/2026-27 के Group-01 (बहरामा आहर/तालाब का जीर्णोद्धार कार्य) में पहले भाग लिया गया है तथा NIT No. 01/2026-27 के Group 02 (महरथ तालाब/आहर का जीर्णोद्धार कार्य) में बाद में भाग लिया गया है। अतः परिवाद के इस बिन्दु को अमान्य किया जा सकता है। तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा लिए गए गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।
16.	अभियंता प्रमुख स्तर पर परिवाद निस्तारण हेतु समिति की समीक्षा	1. **बालकृष्ण भलोटिया कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0, प्रो0–विवेक कुमार भलोटिया, ग्राम–पुरानी बाजार, डाकघर–जमुई, जिला–जमुई** के परिवाद की समीक्षा किया गया । समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्याकंण समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवादी के परिवाद को **अमान्य** किया जाता है । 2. **श्री सुधांशु कुमार, ग्राम–पार नवादा डोभरा पर, डाकघर–नवादा, थाना–बुन्देलखण्ड, जिला–नवादा** के परिवाद की समीक्षा किया गया । समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्याकंण समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवादी के परिवाद को **अमान्य** किया जाता है । 3. **संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय** के परिवाद की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्याकंण समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवादी के परिवाद को **अमान्य** किया जाता है । **(i) संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय द्वारा विष्णु आराध्या कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 कृष्ण कुमार, जहानाबाद पर दिए गए** परिवाद की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्याकंण समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवादी के परिवाद को **अमान्य** किया जाता है । **(ii) संजीव कुमार, ग्राम–परसावां, पो0–परसावां, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय द्वारा रमण कुमार, लखीसराय पर दिए गए** परिवाद की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्याकंण समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवादी के परिवाद को **अमान्य** किया जाता है ।

अधीक्षण अभियंता(मु0),
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

02/6/26
मुख्य अभियंता
(यो0+अनु0+भू0),
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग
पटना ।

02/6/26
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

D/PU SHPA/Parivad 26